अध्याय-2: लेखापरीक्षा ढांचा

अध्याय-2 : लेखापरीक्षा ढांचा

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा उद्देश्यों को यह अभिनिश्चित करना था कि क्या:

- स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए योजना प्रभावी थी;
- वित्तीय प्रबन्धन दक्ष था;
- सामाजिक क्षेत्र की स्कीमों का कार्यान्वयन दक्ष, प्रभावी एवं मितव्ययी था;
- विभिन्न निकायों जैसे आहरण एवं संवितरण अधिकारियों, समान्तर निकायों, स्थानीय निकायों और स्वायत्त निकायों के प्रति जिले में संगठनात्मक सामंजस्य तथा अंतर-तालमेल सीमा उपयुक्त थी;
- स्कीमों के कार्यान्वयन को संपादित करने में मानव संसाधन प्रबन्धन दक्ष था;
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली दक्ष एवं प्रभावी थी; तथा
- अनुश्रवण तंत्र मौजूद एवं प्रभावी था।

2.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

जिले में कार्यान्वित की गई स्कीमों तथा कार्यक्रमों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के भाग 13 और 14 के अंतर्गत संचालित की गई थी।

2.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड

विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों/ स्कीमों के निष्पादन के निर्धारणार्थ प्रयोग किया गया लेखापरीक्षा मानदण्ड से व्युत्पन्न था:

- वार्षिक कार्य योजनाएं;
- केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सम्बन्धित स्कीमों/ कार्यक्रमों के दिशा-निर्देश;
- राज्य वित्तीय नियमावली के प्रावधान तथा केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुपूरक निर्देश/ आदेश; तथा
- निर्धारित अनुश्रवण तंत्र।

2.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

किन्नौर जिले की लेखापरीक्षा में 2007-12 की अवधि के दौरान जिले में कार्यान्वित महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा शामिल है। लेखापरीक्षा के लिए चयनित कार्यक्रमों/ स्कीमों को **परिशिष्ट-1.6** में सूचीबद्ध किया गया है।

लेखापरीक्षा आरम्भ करने से पहले किन्नौर जिले में मई 2012 में हुए आरम्भिक सम्मेलन में उपायुक्त तथा अन्य विभागों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई।

तीन सामुदायिक खण्डों में से दो[1] को प्रतिस्थापन पद्धति के बिना सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श के आधार पर विस्तृत समीक्षा हेतु चयनित किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रतिस्थापन पद्धति के बिना सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श के आधार पर इन खण्डों की 42 ग्राम पंचायतों में से 20 और चयनित ग्राम पंचायतों में से 20 *प्रतिशत* गांवों को व्यापक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया। कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा सेवाओं की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा एक लाभार्थी सर्वेक्षण भी संचालित किया गया था तथा इनके परिणामों को प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, उपायुक्त, एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम के परियोजना अधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, परियोजना निदेशक, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, पूह, जिला परियोजना अधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान), प्रारम्भिक एवं उच्च शिक्षा उप निदेशकों, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षण अभियंता, जिला स्वास्थ्य मिशन, जिला कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी (एकीकृत बाल विकास सेवाएं), जिले में स्थित लोक निर्माण विभाग के दो[2] मण्डल, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के दो मण्डलों में से एक[3], पुलिस अधीक्षक, जिला सूचना केन्द्र तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड कार्यालयों के अभिलेखों की भी जांच की गई।

लेखापरीक्षा परिणामों पर 26 नवम्बर 2012 को हुए अन्तिम सम्मेलन में उपायुक्त एवं विभागीय अधिकारियों से चर्चा की गई तथा उनके विचारों को रिपोर्ट में उपयुक्त स्थानों पर सम्मिलित किया गया है। अद्यतन लेखापरीक्षा परिणामों की अनुवर्ती अध्यायों में चर्चा की गई है।

2.5 आभारोक्ति

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश लेखापरीक्षा के दौरान उपायुक्त तथा सम्बन्धित विभागों के जिला प्रमुखों, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत प्रधानों द्वारा दिए गए सहयोग तथा सहायता के लिए आभार प्रकट करता है।

1 निचार स्थित भावानगर तथा पूह।

2 कड़छम स्थित भावानगर तथा रिकांगपिओ।

3 रिकांगपिओ।